<u>न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं</u>

पीठासीन अधिकारीः— डॉ0 अरूण गर्ग
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 199/2026

श्री बनवारी लाल गर्वा, निवासी 306, बिल्डिंग नं0 13, सेक्टर नं0 7, सीजीएस कालोनी, एंटोफिल मुम्बई, पिन कोड 400037, मो0न0 9082939090

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) झुंझुनूं।

—

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील

<u>आदेश</u>

दिनांक 20.05.2026

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 29.04.2026 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 199/2026 पर दिनांक 29.04.2026 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) झुंझुनूं के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) झुंझुनूं को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) झुंझुनूं से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2026/1350—51 दिनांक 30.04.2026 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) झुंझुनूं ने पत्रांक आरटीआई/2026/63 दिनांक 13.05.2026 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना इस कार्यालय के पत्र कमांक आरटीआई/2026/62 दिनांक 13.05.2026 द्वारा जरिये रजिस्टर्ड डाक व वाट्सअप मोबाईल नम्बर के प्रार्थी को उपलब्ध करवाई जा चुकी है। अतः अपीलार्थी की अपील खारीज फरमायी जावें।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नही।
6. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) झुंझुनूं ने पत्रांक आरटीआई/2026/63 दिनांक 13.05.2026 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना उनके कार्यालय के पत्र कमांक आरटीआई/2026/62 दिनांक 13.05.2026 द्वारा जरिये रजिस्टर्ड डाक व वाट्सअप मोबाईल नम्बर के प्रार्थी को उपलब्ध करवाई जा चुकी है। चूंकि प्रार्थी को सूचना उपलब्ध कराई जा चुकी है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही होने से खारीज किया जाता है।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 20.05.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 अरूण गर्ग)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं